

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	शीला देवी पति-राजेश सहनी ग्राम-बेदौलीया पो०-मुसहरी थाना-मुसहरी फार्म जिला-मुजफ्फरपुर एम०सी०एस-एफ 89395	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राजु चौधरी पिता-वशी चौधरी ग्राम-पटवा टोली पो०+थाना-हाजीपुर जिला वैशाली एम०सी०एस-एफ 87895	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	किशोर कुमार मेहता पिता-स्व० दयानंद मेहता ग्राम-पो०-हरदा थाना-कै० हाट जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-एफ 68603	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
4	राज मुनी देवी पति-राजेन्द्र साह ग्राम+पो०-पुरन्दरपुर थाना-गोरिया कोठी जिला-सीवान एम०सी०एस-एफ 75678	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रूपेश कुमार पिता-शंभु पंडित ग्राम-दामगारा पो0-टेगराहा थाना-शकरपुर जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 31023	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	उषा देवी पति-चंद्र प्रकाश मंडल ग्राम-दभडा पो0-बहरबाडी थाना-जोकीहाट जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 84555	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	मजु देवी पति-अरुण राय ग्राम-धुपारचक पो0-आलमपुर गोमपुरा थाना-जानीपुर जिला पटना एम0सी0एस-एफ 76528	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	कृष्णानंद पाल पिता-सुरेश राम ग्राम-कुरपट पो0-परघडी थाना-सबौर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 16347	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	छोटन कुमार पिता-जनक महतो ग्राम-सान्नी बिगहा पो0-बगाही थाना-बसतपुर जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 53353	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	विमला देवी पति-राम दयाल सहनी ग्राम-चैता सगमा पो0-चैता सगमा थाना-अगारघाट जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 63269	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	बादामिया देवी पति-सुरेश शर्मा ग्राम-कमलपुर पो0-बरियाही बाजार थाना-बनगाव जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 88786	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	किरण देवी पति-दीनानाथ केसरी ग्राम-इंग्लिश टोला महेशखुट पो0+थाना-महेशखुट जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 45794	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
13	अशोक यादव पिता-खुशीलाल यादव ग्राम-बनकट्टी पो0-कोपरिया थाना-सलखुआ जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 79571	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सुनीता देवी पति-सजय चौधरी ग्राम-अर्जुन सरथुआ डीह पो0-सरथुआ थाना-खुदागज जिला-नालदा एम0सी0एस-डी0 46083	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
15	महाकाली देवी पति-राम सुन्दर यादव ग्राम-बसबा पोस्ट-ठाढी थाना-रुद्रपुर जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 79984	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	हरि किशुन पाण्डेय पिता-जगदेव पाण्डेय ग्राम-बसमनपुर पो0-बेलाव थाना-सिकरौल जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 89933	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	राजु यादव पिता-अक्षेलाल यादव ग्राम-ताजपुर पो0-फुलवरिया ताजपुर थाना-माझी जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 83646	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	ममता देवी पति-विशुन सहनी ग्राम-सोनावरचक पो0-महथी थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 43162	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	भरत कुमार पिता-कमलेश्वरी मेहता ग्राम+पो0-समदा थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 46848	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
20	रौशन आरा पति-अफरोज आलम ग्राम-मुर्गिया टोला पो0-अधपकरिया थाना-रामगढवा जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 86211	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
21	कृष्णदेव मरिक पिता-सीतसराम मरिक ग्राम-भलुदगमी वार्ड 11 पो0-परैया थाना+जिला-बाका एम0सी0एस-एफ 88250	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
22	योगेन्द्र राम पिता-रामायण राम ग्राम-रघुनाथपुर पो0-गोसाईपुर थाना-राजपुर जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 76237	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
23	कृष्ण कुमार राय पिता-विष्णु भगवान राय ग्राम+पो0 राजापुर थाना-सिमरी जिला बक्सर एम0सी0एस-एफ 82577	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
24	सविता देवी पति-चद्रकात ईसर ग्राम-महिषी वार्ड 11 पो0-महिषी थाना-विभुतीपुर जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 89031	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
25	राजीव कुमार झा पिता-रामप्रीत झा ग्राम-जोगनी गगा पो0+थाना-बरियारपुर जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 88856	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

26	विमला देवी पति-स्व० यदुनन्दन मेहता ग्राम-रूपौली वार्ड 12 पो०+थाना-रूपौली जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-एफ 80762	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
27	सालीम बाबु पिता-रफिक आलम ग्राम-गढीबस्ती पो०-तुलसिया थाना-गर्भडागा जिला-किशनगज एम०सी०एस-एफ 89795	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	गायत्री देवी पति-देवेन्द्र मुनि ग्राम-भेलौडी पो०-केशव नगर थाना-चौथम जिला-खगडिया एम०सी०एस-एफ 86532	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	मीना देवी पति-नन्देश्वर रविदास ग्राम-अधराचक पो०-केयाल थाना-शहर तेलपा ओ०पी० जिला अरवल एम०सी०एस-एफ 89894	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	राम बालक सिंह पिता-स्व० जलेश्वर सिंह ग्राम-सैदपुरा पो-अलीनगर थाना-सूर्यगढा जिला-लखीसराय एम०सी०एस-एफ 63773	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
31	बाबुल पिता-मो० उसमान ग्राम-सहनगाव वार्ड 14 पो०-सहनगाव थाना-अमौर जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-एफ 61819	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
32	त्रिलोकी पाण्डेय पिता-सत्यनारायण पाण्डेय ग्राम-पाण्डेय टोला पो०-फुलवरिया थाना-सुगौली जिला पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-एफ 44076	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

33	माधुरी देवी पति-मनोज कुमार ग्राम-गोसपुर पो0-चकवाँय थाना-वारसलीगज जिला नवादा एम0सी0एस-एफ 89800	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	गिरजा देवी पति-बिरेन्द्र राम ग्राम-हरिहश वार्ड 2 पो0-हरिहश थाना-हुसैनगज जिला सीवान एम0सी0एस-एफ 81156	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	नेहा खातुन पति-चिटु अली ग्राम-कपिया निजामत मोहन बाजार पो0+थाना-महराजगज जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 84979	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
36	अभय कुमार शर्मा पिता-स्व0 कुलदीप शर्मा ग्राम-शिव नगर पो0-लालगंज थाना-सहायक जिला-पूर्णिया एम0सी0एस- 89106	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	नीतु देवी पति-कुदन शर्मा ग्राम-शहजादपुर पो0-लक्ष्मीपुर थाना-बडहिया जिला-लखीसराय एम0सी0एस-एफ 89512	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	कुसुमलता देवी पति-नागेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-गादी टेलवा पो0-टेलवा बाजार थाना-सिमुलतला जिला-जमुई एम0सी0एस-एफ 91296	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
39	पकज प्रसाद सिंह पिता-बिन्दा सिंह ग्राम-चकबैरिया पो0-बैरिया थाना-गोपालपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 88603	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	गीता कुवर पति-देवनाथ मिश्रा ग्राम-धोबडी पो0-बडगॉव थाना-नारायणपुर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 86988	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	हुमा शर्मा पिता-विश्वनाथ शर्मा ग्राम-हथौजी पो0-हसुआ थाना-नौतन जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 88579	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	उपेन्द्र लाल विश्वास पिता-सोहन लाल विश्वास ग्राम-रौतेय पोस्ट-चादपुर थाना-कदवा जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 89860	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	प्रमोद कुमार मंडल पिता-शालीग्राम मंडल ग्राम+पो0-एकचारी दियारा थाना-एकचारी जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 88550	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	रीता देवी पति-राधे रविदास ग्राम-जैतीपुर पो0-चडी थाना-चडी जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 87469	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	मो0 नुर कमाल पिता-मो0 सुलेमान आलम ग्राम+पोस्ट-टेउसा थाना+जिला-किशनगज एम0सी0एस-एफ 89945	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
46	घुरनी देवी पति-महेश चौपाल ग्राम-सेरमा पोस्ट-जितवारपुर थाना-रहिका जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 87842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	ममता देवी पति-विजेन्द्र सिंह ग्राम-बरोहनपुर पो0-गगौली थाना-अकोढी गोला जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 88760	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	महेश प्रसाद पिता-स्व0 हारो महतो ग्राम-पररिया वार्ड 13 पो0+थाना-नारदीगंज जिला-नवादा एम0सी0एस-एफ 79780	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
49	सुनीता देवी पति- बन्दे यादव ग्राम-उमेश नगर तारतर पो0-दुर्गापुर थाना-मुफसिल जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 89360	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	बिन्देश्वरी राय पिता-झोली राय ग्राम-भगवानपुर पो0-रूपसावज थाना-बछवाडा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 63138	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
51	अमोद कुमार सिंह पिता-राम शोभित सिंह ग्राम+पो0-रहिमापुर थाना-बिदुपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 89708	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	कार्तिक कुमार पिता-निर्मल महतो ग्राम-हनुमानगर पो0-मनपौर थाना-बेला जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 79630	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	कौशल्या देवी पति-धर्म चद्र भगत ग्राम-चम्पानगर पो0-बनैली थाना-चपा नगर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-ई0 68842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	रामाशकर प्रसाद पिता-दुख भजन प्रसाद ग्राम-नवादा वार्ड 4 पोस्ट+थाना-मैरवा थाना-सीवान एम0सी0एस-एफ 52267	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
55	तारकेश्वर माझी पिता-झरोखा माझी ग्राम-नया टोला हराजी पो0-हराजी थाना-अवतार नगर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 87003	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	चिमती देवी पति-राम जन्म माझी ग्राम+पो0-खजुहट्टी थाना-बैकुठपुर जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 89872	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	भगवन्ती देवी पति-कुमर मडल ग्राम-बेला बगरौली पो0-बरहेशेर थाना-बिहरा जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 88036	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	मजु देवी पति-दिनेश प्रसाद ग्राम-नन्दलाल बिगहा पो0-फरहा थाना-नेमदारगज जिला नवादा एम0सी0एस-एफ 89102	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	सिन्धु देवी पति-अरविन्द कुमार ग्राम-सिंकदरपुर केलाबाडी मुगरौडा, पो0-जमालपुर थाना-इस्ट कोलनी जिला-मुगेर एम0सी0एस-एफ 85278	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	महेश तिवारी पिता-स्व राम एकबाल तिवारी ग्राम-बिंद टोली तेतराहार पो0-सिकरौल थाना-सिकरौल जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 89402	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	मुगावली देवी पति-सजावल राम ग्राम-भिट्टी वार्ड 03 पो0-भिट्टी थाना-गोरेया कोठी जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 61170	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	केस्टो साव पिता-लक्ष्मी साव ग्राम+पो0-बाढ थाना-बाढ जिला पटना एम0सी0एस-एफ 80847	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
63	राजेन्द्र राय पिता-रकटु राय ग्राम-रूपचकिया पो0-खनगौव थाना चडी जिला भोजपुर एम0सी0एस-एफ 89701	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	गुडिया कुमारी पिता भीम सिंह ग्राम-धरनीपुर पो0-खोचरिहा थाना-धनसोई जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 88122	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	राम अशिष राय पिता-र0 गुलटेन राय ग्राम-लदनिया पो0-मखनाहा थाना-आधरामठ जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 89719	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	बबीता देवी पति-मनोज कुमार ग्राम-बालुपर पो0-चौडा थाना-खुसरूपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 81221	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	गणेश पोद्दार पिता-देवेन्द्र पोद्दार ग्राम+पो0-चाद सराय थाना-जन्दाहा जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 77960	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

68	रजु देवी पति-राम रतन सहनी ग्राम-परमंठ पो0-सरौजा थाना-बीरपुर पी0एस0 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 90176	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	मंजु देवी पति-स्व0 अशोक प्रसाद ग्राम-बीच बाजार वार्ड 09 पो0-राजहाट थाना-अकबरपुर जिला-नवादा एम0सी0एस-ई0 89135	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
70	सोनु कुमार पिता-महेन्द्र साव ग्राम-महुअवा वार्ड 09 पो0-महुअवा थाना-मदनपुर जिला औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 89197	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	राजीव कुमार पिता-स्व0 लक्ष्मी दास ग्राम-डाकबगला रोड कचरा मोहल्ला, पो0-मोकामा थाना-मोकामा जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 89311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	जय कुमारी देवी पति-बिगु महतो ग्राम-जगधर बाजार पो0-जगधर थाना-परिहार जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 89660	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	अर्चना देवी पति-राम विलास चौधरी ग्राम-डुमरी पो0-अफजला थाना-बिरौल जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 75937	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
74	रजय कुमार पिता-रामाकान्त सिंह ग्राम+पो0-शेखपुरा थाना-रामपुर जिला-अरवल एम0सी0एस-एफ 87871	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	सजु देवी पति-श्रवण पासवान ग्राम-जुझारपुर वार्ड 9 पो0-नादघाट थाना-गौरीचक जिला पटना एम0सी0एस-एफ 72820	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
76	गलेश्वर मडल पिता-खुशी लाल मडल ग्राम-महेशपुर पो0-लालपुर थाना-सुपौल नदी जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 84847	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	परमेश्वर राम पिता-सुखी राम ग्राम-सिसौनी पो0-बेलाटेढा थाना-किशनपुर जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 87749	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	सुविन कुमार पिता-शिव कुमार राय ग्राम-धरीपुर पो0-हरजाई थाना-अवतार नगर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 80831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	रेणु देवी पति-रामबली राय ग्राम+पोस्ट-तुर्की थाना-कुढनी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 65811	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	दुलारी देवी पति-इन्द्रदेव यादव ग्राम-सहुन पो0-बिशुनपुरा थाना-मगध युनिवर्सिटी जिला-गया एम0सी0एस-एफ 88800	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	मो0 निजाम पिता-मो0 किताब हुसैन ग्राम+पो0-कहरा थाना+जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 88167	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	अर्जुन रविदास पिता-स्व० सुखदेव मोची ग्राम-बेनी नगर पो०-मैगरा थाना-डुमरिया जिला-गया एम०सी०एस-एफ 89572	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	उगिया देवी पति-दुध नारायण मडल ग्राम-हरदार पो०-जहानपुर थाना-जोकीहाट जिला-अररिया एम०सी०एस-एफ 31201	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव पिता-स्व गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम-घोडासाहन पो०-जिगराहा थाना-जितना जिला पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-डी० 68267	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
85	चन्द्रावती देवी पति-मनोज प्रसाद ग्राम-खडतरी पो०-खडतरी थाना-चिरैया जिला पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-एफ 73080	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	राजीव कुमार पिता-किशोरी यादव ग्राम-कोनीपार सोनाजन पो०-दिघरी थाना-सूर्यगढा जिला-लखसराय एम०सी०एस-एफ 48831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	सीता देवी पति-हरिन्द्र पासवान ग्राम-अधीनपुर पो०-गनीपुर पकडी थाना-लालगज जिला वैशाली एम०सी०एस-एफ 38307	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
88	शोभा देवी पति-बाउआ लाल राम ग्राम-सोरमार पो०-जगदीश पारण थाना-चकमहेसी जिला-समस्तीपुर एम०सी०एस-एफ 89705		80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	रामावती देवी पति-भोला राय ग्राम-नडडा खेखरिया टोला पो0-भैरोगज थाना-भैरोगज जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 88223	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	प्रमोद ठाकुर पिता-बनारसी ठाकुर ग्राम-गरही ग्राम बिशनपुर पोस्ट-किउल थाना+जिला-लखीसराय एम0सी0एस-एफ 87557	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	मीना देवी पति-रामचन्द्र झा ग्राम+पो0-जीतवारपुर कुम्हिरा थाना-सराय रजन जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 88296	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	सोने लाल कुमार पिता-महेन्द्र चौधरी ग्राम-सदरपुर पो0-अमावन थाना-बिद जिला नालंदा एम0सी0एस-एफ 79608	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	पन्नालाल पिता-शिव नारायण राय ग्राम-बडहरवा पो0-रूपडीह थाना-मुफसिल जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 40345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	राम स्वरूप सिंह पिता-स्व0 राम लखन सिंह ग्राम+पो0-मसाढ थाना-उदवत नगर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 86718	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	अजय साव पिता-रामाकात साव ग्राम+पो0-खासपुर थाना-नौबतपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 86694	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	नुरनेशा खातुन पति-सुभान मिया ग्राम-पोखरिया पो0-लक्ष्मीपुर पोखरीया थाना-आदापुर जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 88343	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	जय प्रकाश कुमार पिता-धन कुमार माझी ग्राम-झाझ पोस्ट-देवनिया थाना-धनगाई जिला-गया एम0सी0एस-एफ 89326	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	बिभा देवी पति-आलोक कुमार ग्राम-टोनवा पो-अमवा थाना-झरौखर जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 90243	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	शकुन्तला देवी पति-लक्ष्मी मेहता ग्राम-गम्हरीया पो0-देवीपुर थाना-राघोपुर जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 89798	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	शीला नाथ राय पिता-लोहा राय ग्राम-लगनपुरा पो0-पचरूखी थाना-भेल्दी जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 88975	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	नारायण चौहान पिता-जामुन चौहान ग्राम-झखीया गोडा पो0-जगतपुर थाना-पजवारा जिला-बाका एम0सी0एस-एफ 89336	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	सुजीत कुमार पिता-राजा राम प्रसाद ग्राम+पो0-नेर थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 89410	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	जहाना खालुन पति-मो० इस्तहार ग्राम-श्यामपुर डाका पो०-मिर्जापुर थाना-शभुगज जिला-बाका एम०सी०एस-एफ 88419	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
104	चन्दन कुमार पिता-अनील राउत ग्राम-अहियाचक पो०+थाना-कतरी सराय जिला नालदा एम०सी०एस-एफ 88536	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	गौतम साव पिता-स्व० ओम प्रकाश साह ग्राम-नदन भवन बाकरगज बजाजा पो०-बांकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 90044	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	अशु देवी पति-तिलक्षण चौधरी ग्राम-पनसलवा पो०-पनसलवा थाना-बेलदौर जिला-खगडिया एम०सी०एस-एफ 85735	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	शेख अमीरुल्लाह पिता-शेख महमुद ग्राम-सेनवरिया वार्ड 13 पोस्ट+थाना-तुरकौलया जिला-पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-एफ 89352	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
108	मिथलेश कुमार मिश्रा पिता-कृष्णा मिश्रा ग्राम-रामपुर खजुरीया वार्ड 1 पो०-हुसैनी थाना-डुमरीया घाट जिला-पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-एफ 89767	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	अनिता देवी पति-गुड्डु सिंह ग्राम-बनकटवा पो-छपरा भास थाना-सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-एफ 70289	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

110	डेफो सहनी पिता-मगल सहनी ग्राम-अयोध्या बिनलपुर वार्ड 07,पो0+थाना-तेघरा जिला-बेगुसराय एम0सीएस-एफ 88919	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	अशोक कुमार मंडल पिता-स्व0 मिश्री लाल मंडल ग्राम+पो0-बेलहा थाना-फुलपरास जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 88057	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	मो0 गाजी पिता-मो0 असलम ग्राम-बेघली वार्ड 11 पो0-बेघली थाना-जदिया जिला-सुपौल एम0सीएस-एफ 88545	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
113	नवल चौधरी पिता-स्व0 भोला चौधरी ग्राम-विशुनपुर जगदीश पो0-आथर थाना-मुसहरी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सीएस-एफ 87447	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	निभा कुमारी पति-सतोष कुमार सिंह ग्राम-शहरू वार्ड 1 पो0-रन्ना थाना-हथौडी जिला-समस्तीपुर एम0सीएस-एफ 81916	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
115	परवेज आलम पिता-अहमद अली अंसारी ग्राम-गॉव परसा पो0-सिरनी बाजार थाना-गोविन्दगज जिला पूर्वी चम्पारण एम0सीएस-एफ 86773	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
116	हरि नारायण सिंह पिता-चन्द्र भुषण सिंह ग्राम-गहई पो0-लौखान थाना-ढाका जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 69896	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

117	लक्ष्मीनाथ ठाकुर पिता-महावीर ठाकुर ग्राम-राजेगोट पो0+थाना-मनीगाछी जिला दरभंगा एम0सीएस-एफ 73978	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
118	सबिता देवी पति-बाला नन्द यादव ग्राम+पो0-जयजोर थाना-आन्दर जिला-सीवान एम0सीएस-एफ 64011	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
119	ललिता देवी पति-विनोद भगत ग्राम+पो0-पीरापुर मथुरा थाना-गोरौल जिला वैशाली एम0सीएस-एफ 80017	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	ममता मिश्रा पिता-सौरभ कुमार मिश्रा ग्राम-मिश्रौलया अफजलपुर वार्ड स0-06 पो0-मिश्रौलीया अफजलपुर थाना-बेलसर ओ0पी0 जिला-वैशाली एम0सीएस-एफ 49644	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
121	पुष्पा कुमारी पिता पकज कुमार ग्राम-तेतरिया 11 पो0-दोधारी थाना-सोनो जिला-जमुई एम0सीएस-एफ 90140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	रीता देवी पति-चद्र मोहन मंडल ग्राम-लाढो वार्ड 2 पो0-लाढो थाना-बिरौल जिला दरभंगा एम0सी0एस-एफ 59499	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
123	कमरजबी पति-मो0 मतीन अहमद ग्राम-बखरी सुपायन वार्ड 16 पो0-बखरी सुपायन थाना-राजापाकर जिला वैशाली एम0सीएस-एफ 61786	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

124	पुनिता देवी पति-रामजी प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम-तुमरीया टोला पो0-रक्सौल थाना-हरैया ओपी जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सीएस-एफ 90165	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
125	महावीर चौधरी पिता-चमरू चौधरी ग्राम-पीपल तल बाहरी बेगमपुर पो0-बेगमपुर थाना-बाईपास जिला-पटना एम0सीएस-एफ 86729	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	कल्पना देवी पति शशि भुषण कुमार ग्राम-धोबई वार्ड 09 पो0+थाना-तारापुर जिला मुगेर एम0सीएस-एफ 56383	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	बच्ची देवी पति-लालु चौधरी ग्राम-मठ लक्ष्मणपुर कोइरी टोला वार्ड 54 पो0-गुलजारबाग थाना आलमगज जिला पटना एम0सीएस-एफ 78070	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	विमला देवी पति-सुधीर यादव ग्राम-लोदीपुर पो0+थाना-नौबतपुर जिला पटना एम0सीएस-एफ 74189	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
129	मुस्तार पिता-छक्कु ग्राम-रगपुरा दक्षिण पो0-रगपुरा थाना-मीरगज जिला-पूर्णिया एम0सीएस-एफ 89567	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
130	सैफुन निशा पति-हरमुल मिया ग्राम-मुरवा एराजी पो0-गम्हरीया थाना-इसुआपुर जिला-सारण एम0सीएस-एफ 77084	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

131	अश्वनी कुमार सिहा पिता-रामेश्वर प्रसाद ग्राम+पो0-फतेहपुर थाना-फतेहपुर जिला-गया एम0सीएस-एफ 80996	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
132	गुडिया कुमारी पति-रवि कुमार ग्राम-गौरी वार्ड 05 पो0-सोनबर्षा थाना-ओबरा जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 85973	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	मो0 अरसलन पिता-मो0 वजीर आलम ग्राम-हमजापुर पो0-शेरघाटी थाना-आमस जिला गया एम0सीएस-एफ 89787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
134	सोनी देवी पति-अजय कुमार गुप्ता ग्राम-न्यु सिधौली पो0-डालमिया नगर थाना-डालमिया नगर जिला-रोहतास एम0सीएस-एफ 7046	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
135	सीता देवी पति-पवन कुमार सिंह ग्राम-दरबे पो0+थाना-भदौर जिला पटना एम0सी0एस-एफ 38857	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
136	तिलकी देवी पति-शिव नारायण यादव ग्राम-बेहरवारी पो0-सुईया थाना-सुईया जिला-बांका एम0सीएस-एफ 78355	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
137	परी कुमारी पिता दीपक कुमार गुप्ता ग्राम-तिवारी टोला वार्ड 31 पो0 सहरसा थाना+जिला सहरसा एम0सीएस-एफ 89832	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

138	सत्य नारायण महतो पिता-स्व० सुरज महतो ग्राम-लाल बाजार नोनिया टोली वार्ड 23 पो०-बेतिया थाना-नगर जिला-प० चम्पारण एम०सीएस-एफ 89926	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
139	रीतु कुमारी पति-रमेश कुमार ग्राम+पो०-रघरपुरा थाना-सुरसड जिला सीतामढी एम०सीएस-एफ 87033	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
140	सजय साह पिता-नथुनी साह ग्राम-चिटु टोला पोस्ट+थाना-थावे जिला गोपालगज एम०सीएस-एफ 83900	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
141	इद्रजीत सहनी पिता-गुगली सहनी ग्राम-दीघरा पो०-परसौना थाना-परसा जिला-सारण एम०सीएस-एफ 88844	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
142	चदन कुमार पिता-विजय लाल ग्राम-घोषी टोला वार्ड 06 पो० नाथ नगर थाना-नाथ नगर जिला भागलपुर एम०सीएस-एफ 70892	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
143	शबरा खातुन पति-अफताब आजम ग्राम-पुरैना गोसाई वार्ड 05 पो०-पुरैना गोसाई थाना-चनपटिया जिला-प० चम्पारण एम०सीएस-एफ 75429	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
144	सूर्यदेव भगत पिता-स्व० मगल भगत ग्राम-चतर पो०-मालवन थाना खुदावा जिला-औरंगाबाद एम०सीएस-एफ 88699	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

145	उमरावती देवी पति-सचीन्द्र साह ग्राम+पो0 फतेहपुर चैन थाना-अवतार नगर जिला-सारण, छपरा एम0सीएस-एफ 65073	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
146	राम बालक यादव पिता-गोपाल यादव ग्राम-काजी बीगहा पो-खानपुर थाना-वजीरगज जिला-गया एम0सी0एस-एफ 20771	कैसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे
147	पवन देवी पति- श्याम बिहारी ग्राम- छतनवार वार्ड 09 पो0- छतनवार थाना- कृष्णब्रह्म जिला- बक्सर एमसीएस न0- एफ 75769	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
148	पिकी कुमारी पति- सुभाष कुमार ग्राम- मगराओं पो0- सगराओ थाना- राजपुर जिला- बक्सर एमसीएस न0- एफ 76286	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
149	कबीला देवी पति- लालदेव यादव ग्राम- एतवारपुर टाड पर वार्ड 08 पो0- कुरथौल थाना- परसा बाजार जिला- पटना एमसीएस न0- एफ 74095	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
150	जगदीश यादव पिता- दासो यादव ग्राम+पो0- लालपुर थाना- कौवाकोल जिला- नवादा एमसीएस न0- एफ 15106	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
151	अखिलेश सिंह पिता- रामनाथ सिंह ग्राम+पो0- पचरुखी थाना- भेल्दी जिला- सारण एमसीएस न0- एफ 80028	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

152	सतोष कुमार पिता- राम विजय सिंह ग्राम- दुलारपुर पो- नया नगर थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय एमसीएस नं०- 88673	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,08,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,08,40,000/- (एक करोड़ आठ लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~176847~~... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० **3601018437** खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी०जी०) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

681(14)

पटना, दिनांक 10/3/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~176847~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शुशीला देवी पति- रमेश सिंह ग्राम- अकाढा पो०- पिलछी थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद सीआर न०- 1081123002445	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मसूद हुसैन पिता- जाहिदुर रहमान ग्राम- अलीगज वार्ड 12 पो०- धागडा थाना- कोधोबरी जिला- किशनगज सीआर न०- 108112403648964	हीप रिफ्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	मो० कलीमुद्दीन पिता- शरफुद्दीन ग्राम+पो०- सोहरैया थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद सीआर नं०- 108112300255255	हृदय रोग सीआरटी- डी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	मुसब्बर पिता- सोहराब ग्राम+पो०+थाना- डमरूआ जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 108112522131971	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	मणिमाला सिन्हा पति- विजय कुमार सिन्हा ग्राम- आर एस टैंक बलभद्रपुर वार्ड 45 पो0- लहेरियासराय थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112403323291	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	अवधेश कुमार तिवारी पिता- खेदन तिवारी ग्राम- तिवारी मटिहनिया पो0- सिपाया थाना- विश्वम्भरपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112403893381	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	शांति देवी पति- शिवमंगल सिंह ग्राम- सरुपा पो0- बरहरवा लखन सेन थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112403337217	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	उमेश राय पिता- राम एकबाल राय ग्राम- बनकरवा वार्ड 11 पो0- परसौना थाना- परसा जिला- सारण सीआर न0- 108112403631689	हीप रिप्लेशमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
9	मुकेश कुमार सिंह पिता- चन्द्रिका सिंह ग्राम- धनुषी वार्ड 10 पो0- घटारो थाना- करताहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500182821	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	महिंद्र महतो पिता- लोचन महतो ग्राम- जोरियाही वार्ड 10 पो0- बेलगज थाना- बैरगनिया जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112403804362	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	कारी देवी पति- खट्टर दास ग्राम- अररिया वार्ड 12 पो0- कुमियाही थाना- त्रिवेणीगंज जिला- सुपौल सीआर न0- 108112403712310	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	रीना देवी पति- अजय कुंवर ग्राम- हरिहरपुर वार्ड 12 पो0- हरिहरपुर थाना- बनियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112500026781	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	तारा देवी पति- अशोक राम ग्राम- सरोख पो0- चन्द्रभानपुर थाना- सजौर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112500313560	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	वसंत कुमार सिंह पिता- राम विनय सिंह ग्राम- एरौत वार्ड 07 पो0- एरौत थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112301149831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	नवीन मडल पिता- नर सिंह मडल ग्राम- कुर्मीचक पो0- रामपुर थाना- अतीचक जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112500245408	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सुगापति देवी पति- राम दहीन यादव ग्राम- राजबिगहा पो0- धर्मशाला थाना- पंचानपुर जिला- गया सीआर न0- 108112500243511	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	सहोदरा देवी पति- महेद्र राय ग्राम- गुलामलीचक पो0- आन्नदपुर थाना- बिहटा जिला- पटना सीआर न0- 108112403814872	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	वुटनी देवी पति- विरेन्द्र पासवान ग्राम- तीरा पो0- तीरा जटमलपुर थाना- कल्याणपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300318869	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	शिवनरेश प्रसाद पिता- भोला प्रसाद ग्राम- श्रीरामपुर वार्ड 16 पो0- नोनियाडीह थाना- रक्सौल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 108112403541337	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	राजीव कुमार पिता- सीताराम यादव ग्राम- गढिया पो0+थाना- कुमारखड जिला- मधेपुरा सीआर नं0- 108112400069998	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	शांति देवी पति- जर्नादन यादव ग्राम- सोहसा वार्ड 04 पो0- सोहसा थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल सीआर नं0- 108112500118805	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	पंकज कुमार पिता- फोकू यादव ग्राम- बजराहा वार्ड 01 पो0- कौरी गोला थाना- धमदाहा जिला- पूर्णियाँ सीआर नं0- 108112403401675	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	विमला देवी पति- सूर्य नारायण यादव ग्राम- सुन्दरी पो0- भरगामा थाना- भेजा जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112402312482	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	हित लाल राय पिता- राम चेला राय ग्राम- सोन्दही पो0- कुम्मा थाना- सुरसड जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112403589992	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	श्यामा देवी पति- जयनदन पासवान ग्राम+पो0+थाना- चौसा जिला- मधेपुरा सीआर नं0- 108112500027222	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	पवन कुमार पिता- बिजय साह ग्राम- मदारगज वार्ड 08 पो0- मदारगज थाना- अमडडा जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112403863725	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मंगल राय पिता- उत्तिम लाल राय ग्राम+पो0+थाना- मटिहानी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112403632006	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	प्रेमी देवी पति- शिवचन्दार साय ग्राम- बाजितपुर चकस्तूरी वार्ड 02 पो0- जाजितपुर चकस्तूरी थाना- सहदेई जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112403308047	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	नेहा कुमारी पिता- दिनेश मडल ग्राम+पो0- तुलसीपुर थाना- खरिक जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112400622395	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	सुबोध कुमार पिता- रामप्रसाद महतो ग्राम- बौराहा वार्ड 04 पो0- बौराहा थाना- करजाईन जिला- सुपौल सीआर न0- 108112300016617	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सिपाही यादव पिता- परशुराम यादव ग्राम+पो0- मुबारकपुर थाना- माझी जिला- सारण सीआर न0- 108112403569053	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	फूलमती देवी पति- जगदीश यादव ग्राम+पो0- सरेया नरेद्र थाना- बरौली जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 108112403272691	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	जीरानन्द सरदार पिता- मूंगालाल सरदार ग्राम- रघुनाथपुर वार्ड 01 पो0- अघुनाथपुर थाना- जदिया जिला- सुपौल सीआर न0- 108112500097263	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	दिव्याशु कुमार पिता- अलोक कुमार ग्राम- महावीर घाट पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना सीआर न0- 108112402529104	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	व्यास राय पिता- रामश्वर राय ग्राम- अकुलपुर वार्ड 09 पो0- बजहीया थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112403771049	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	गजेद्र प्रसाद पिता- अशफ़ी राय ग्राम- सरनारायण पो0- दरिहरा थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112402806108	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	रामस्वरूप यादव पिता- टुन्नु यादव ग्राम- माया बिगहा वार्ड 07 पो0- कोर्सा थाना- कोषी जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112300661067	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	सोना देवी पति- मदन राम ग्राम- बलुआ देव राय पो0- योगापट्टी जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112402869312	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	नरेश झा पिता- बौएलाल झा ग्राम- मलमल वार्ड 01 पो0- मलमल थाना- कलुआही जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112500202733	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	प्रमिला देवी पति- बिसुन साव ग्राम- गोपालपुर वार्ड 06 पो0- हरदिया थाना- रजौली जिला- नवादा सीआर न0- 108112403879214	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	रिकू देवी पति- सोहन यादव ग्राम- बरियारपुर वार्ड 08 पो0- बरियारपुर थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा सीआर न0- 108112403714437	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	रंजू देवी पति- दिलीप चौधरी ग्राम- कीर्तन भवन के पास वार्ड 12 पो0+थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112401512585	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	शांति देवी पति- रामचंद्र राम ग्राम- गोहाटी टोला वार्ड 06 पो0- सेमरा मेड्रॉल थाना- सेमरा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112300533166	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	देवनारायण राय पिता- बहादुर राय ग्राम- मालीपुर पकरि पो0- डुमरा थाना- सीतामढी जिला- सीमातढी सीआर न0- 108112300174671	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	सत्य नारायण यादव पिता- राम शरण यादव ग्राम- खोरमा वार्ड 04 पो0- खोरमा थाना- मरौना जिला- सुपौल सीआर न0- 108112403343586	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	विनय ठाकुर पिता- नानकु ठाकुर ग्राम+पो0- डिहुरी थाना- गोह जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112500218605	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	शकर प्रसाद पिता- शिवनारायण मोदी ग्राम- खानपर वार्ड 02 पो0- लक्ष्मीपुर थाना- पीरपैती जिला- भागलपुर सीआर नं0- 108112403026149	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	महामुनी देवी पति- ललन राम ग्राम+पो0- भदवर थाना- चडी जिला- भोजपुर सीआर नं0- 108112300277631	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	ललिया देवी पति- सूरज राय ग्राम- रामजी चक पो0- बाटागज थाना- दीघा जिला- पटना सीआर नं0- 108112500098197	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	गृजेश कुमार श्रीवास्तव पिता- कन्हैया प्रसाद ग्राम- रामपुर कोडर वार्ड 08 पो0+थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 108112403514259	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	शिला देवी पति- विजेन्द्र केवट ग्राम- तेतरिया पो0- मौलानाडीह थाना- सिलाव जिला- नालंदा सीआर नं0- 108112500008490	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
52	शांति टेगारी प्रसाद पति- टेगारी प्रसाद ग्राम+पो0- नुआवं थाना- कृष्णब्रह्म जिला- बक्सर सीआर नं0- 108112500225407	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
53	शीला देवी पति- विनोद साह ग्राम- बेलवतिया वार्ड 10 पो0- सुकुल पाकर थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 108112400249589	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

54	राजकिशोर प्रसाद पिता- जानकी प्रसाद ग्राम- सिदुआरा पो0- महाकार थाना- चडी जिला- नालदा सीआर नं0- 108112403689911	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
55	कालो देवी पति- मुन्ना चौधरी ग्राम- लोहरपुरा पो0- सादीपुर थाना- नवादा जिला- नवादा सीआर नं0- 108112300046648	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
56	पुष्पा सिंह पति- रत्नेश कुमार सिंह ग्राम- सुल्तानपुर वार्ड 14 पो0- सुल्तानपुर थाना- देसरी जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112401977499	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
57	राधिका देवी पति- स्व0 सुभाष सिंह ग्राम- मोतीपुर निजामत वार्ड 07 पो0- लामीचौर थाना- भोरे जिला- गोपालगंज सीआर नं0- 108112403269114	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
58	अरुणि देवी पति- बिमलेन्दु सिंह ग्राम- गजहरवा वार्ड 05 पो0- बेलाही जयराम थाना- सहियारा जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112500012900	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
59	कविता देवी पति- रामविलाश महतो ग्राम- परना वार्ड 06 पो0- परना थाना- निमाचदपुरा जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112300168611	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
60	शिव कुमार सिंह पिता- अर्जुन प्रसाद सिंह ग्राम- पचही वार्ड 02 पो0- पचही थाना- मादेपुर जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112300088898	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

61	विमला देवी पति- सुरेद्र सिंह ग्राम+पो0- सुलतानपुर पूरब थाना- मोहिउद्दीन नगर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112500030975	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
62	अमना खातून पति- मो0 जाहिर ग्राम+पो0- कठमलिया थाना- शिकारगज जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112500056290	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
63	मुसौदा खातून पति- मो0 मासूक ग्राम- सरसौला खुर्द वार्ड 11 पो0+थाना- शिवहर जिला- शिवहर सीआर न0- 108112500246277	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
64	दया कुमारी पति- राज किशोर प्रसाद ग्राम- बडाकपूर वार्ड 02 पो0- बसौली थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112403106461	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
65	लाल मिश्री राम पिता- रामसागर राम ग्राम- इंदरवा पो0- दलकावा थाना- सोनबरसा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112401779425	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
66	राम प्रकाश राय पिता- रामोतार राय ग्राम- चक्का सहिलोरी वार्ड 08 पो0- जयतीग्राम थाना- भगवानपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112403441723	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
67	जिनत प्रवीन पति- मो0 हकिम ग्राम- सहरसा बस्ती वार्ड 31/28 पो0+थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112403156468	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

68	ललिता देवी पति- उमेश प्रसाद ग्राम- भगवानपुर चकशेखु र्ड 05 पो0+थाना- दलसिहसराय जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112403578966	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
69	धरम देव महतो पिता- वासो महतो ग्राम- बजलपुरा वार्ड 12 पो0+थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 10811240387011	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
70	आशीष कुमार झा पिता- सुधीर झा ग्राम- पाली वार्ड 10 पो0- पाली थाना- बेनीपट्टी जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112500016255	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
71	योगेंद्र प्रसाद साह पिता- स्व0 गंगा प्रसाद साह ग्राम- गुलजारबाग मोहल्ला वार्ड 20 पो0+थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112403817049	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
72	ममता ओझा पति- बलिराम ओझा ग्राम- करूप पो0- इटढीया थाना- काराकाट जिला- रोहतास सीआर न0- 108112400016878	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
73	एतबारी देवी पति- कैलाश दास ग्राम+पो0- साहपुर उदी थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112400424848	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
74	बिरजू सिंह पिता- स्व0 शिवजी सिंह ग्राम- राष्ट्रीय गज फुलवारी शरीफ पो0- फुलवारी शरीफ थाना- फुलवारी जिला- पटना सीआर नं0- 108112402013736	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

75	मीरा देवी पति- देवेद्र साह ग्राम- डुमरामा वार्ड 01 पो0- डुमरामा थाना- अमरपुर जिला- बाका सीआर नं0- 108112401698671	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
76	सोनफी पासवान पिता- स्व0 रमन पासवान ग्राम- बासुदेवपुर बोहा पो0- रतवारा थाना- बाजपट्टी जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112301047648	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
77	गेशिला देवी पति- प्रभु यादव ग्राम- रामपुर मकुद वार्ड 14 पो0- सिसवा थाना- विश्वम्भरपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112300981002	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
78	जुगल किशोर गिरी पिता- स्व0 बासुदेव गिरी ग्राम+पो0- मसाढ थाना- उदवत नगर जिला- भोजपुर सीआर नं0- 108112300690199	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
79	बेबी देवी पति- हरिशकर प्रसाद केशरी ग्राम+पो0+थाना- पकडीदयाल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112400718984	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
80	नवीसा परवीन पति- मो0 जफीर असारी ग्राम- क्योटापट्टी पो0- अभुआर थाना- किशनपुर जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112403238944	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
81	मो0 आलम पिता- मो0 मकसूद अली ग्राम- काशनगर पो0- पररिया थाना- काशनगर जिला- सहरसा सीआर न0- 108112400432227	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

82	सोनू कुमार सिंह पिता- रामदास सिंह ग्राम- महुआर पो0- मुजहर थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112401527817	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
83	शैलेन्द्र कुमार पिता- रामनन्दन प्रसाद ग्राम- पोंक पो0- केवटी थाना- जयरामपुर जिला- शेखपुरा सीआर न0- 108112500343035	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
84	शिव कुमारी देवी पति- महेश ठाकुर ग्राम- महदेइया पठ पो0- परसा पट्टी थाना- साहेबगंज जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112300152600	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
85	मो0 मसूद आलम पिता- मो0 गयस उद्दीन ग्राम- बसही पो0- चुरावनचक थाना- भागवानपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112403756775	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
86	तरिया देवी पति- कटकी साह ग्राम- कठौन पो0+थाना- कटोरिया जिला- बाका सीआर न0- 108112400714273	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
87	ममता देवी पति- विजय कुमार ग्राम- पोस्टल पार्क रोड 3बी पो0- जी0पी0ओ0 थाना- जक्कनपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112401218806	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
88	बीबी जमीला पति- मो0 सुभान ग्राम+पो0- अरन थाना- बिहरा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112403547599	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

89	रामोतार ठाकुर पिता- हरखू ठाकुर ग्राम+पो0- शुम्भा थाना- अलौली जिला- खगडिया सीआर न0- 108112401565221	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
90	असलम असारी पिता- जीमल ग्राम+पो0- डुमरामा थाना- अमरपुर जिला- बांका सीआर नं0- 108112500003544	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
91	शेख कफिलउद्दीन पिता- शेख कमीरुद्दीन ग्राम- छपरैली वार्ड 04 पो0- महलबाडी थाना- डगरूआ जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112500303670	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
92	सुन्दर महतो पिता- मगल महतो ग्राम- बेला वार्ड 07 पो0- बेला थाना- लखनौर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112300906906	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
93	गन्नू महतो पिता- महनत महतो ग्राम- कमलपुरा वार्ड 13 पो0- करहटिया बुजुर्ग थाना- गोरौल जिला- वैशाली सीआर न0- 108112403731764	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
94	सनोज कुमार पिता- श्याम सुन्दर प्रसाद ग्राम- मद बिगहा पो0- शिवहर थाना- अतरी जिला- गया सीआर नं0- 108112403059187	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
95	फैयाज आलम पिता- जहूर आलम ग्राम+पो0- रसौक थाना- मोरकाही जिला- खगडिया सीआर न0- 108112500095023	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

96	अजू देवी पति- सुरेद्र शर्मा ग्राम- भगवतीपुर वार्ड 01 पो0- नेउरा थाना- शाहपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112402118961	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
97	पूर्णमा देवी पति- स्व0 रिझान सिंह ग्राम- 103 हल्दी स्टेट बैंक रोड वार्ड 27 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- गौंधी मैदान जिला- पटना सीआर न0- 108112400976197	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
98	रेनू देवी पति- संजित कुमार शर्मा ग्राम- राजेद्र नगर नवादा पो0+थाना- नवादा जिला- नवादा सीआर नं0- 108112401354645	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
99	कुरेशा खातून पति- मो0 तस्लीम ग्राम- फुलवडिया वार्ड 04 पो0- बरौनी थाना- फुलवरिया जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112500129556	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
100	सना प्रवीन पति- मसूद आलम ग्राम+पो0- रामपुर कोदरकट्टी थाना- अररिया जिला- अररिया सीआर न0- 108112402246986	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
101	मोहित पिता- तस्लीम ग्राम- दोहमाना पो0- बहरबारी थाना- अररिया जिला- अररिया सीआर न0- 108112403641927	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
102	रगी लाल पंडित पिता- खडकन पंडित ग्राम- हथमडल पो0- बनमा इटारी थाना- सलखुआ जिला- सहरसा सीआर न0- 108112300217175	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

103	सूरज देवी पति- लक्ष्मण यादव ग्राम- रघुनन्दन बिगहा पो0- कुंडा थाना- मुफ्फशील जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112403467676	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
104	चिता देवी पति- रतन प्रसाद ग्राम- मखदुमपुर पो0- बडी पैठाना थाना- इस्लामपुर जिला- नालदा सीआर नं0- 108112400441269	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
105	कला देवी पति- स्व0 चद्र कुमार मेहता ग्राम- बखरी पो0- नरसिहबाग थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112300146537	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
106	रौशन आरा पति- मो0 वजीर आलम ग्राम- महिशा वार्ड 03 पो0- मधेपुर थाना- मादेपुर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112301085043	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
107	अशरफ हसन पिता- नजमुल हसन ग्राम+पो0-चाकन्द्रा थाना- चेवाडा जिला- शेखपुरा सीआर नं0- 108112403322252	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
108	महम्मद सकिर हुसैन पिता- मो0 सहिद असारी ग्राम- भगवानपुर हाट वार्ड 08 पो0+थाना- भगवानपुर हाट जिला- सिवान सीआर न0- 108112402697601	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
109	फुला देवी पति- स्व0 लाल देव यादव ग्राम- इदिरा नगर बगाली टोला वार्ड 30 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- जक्कनपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112500287674	RE CATARA CT	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।

110	रेनू देवी पति- तरूण कुमार ग्राम- रामपुर वार्ड 11 पो0- भडारी थाना- रहुई जिला- नालदा सीआर न0- 108112402590873	CATARA CT Surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
111	शोभा देवी पति- अकज पासवान ग्राम- मकसूदपुर ताज पो0- नीलकठपुर थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500195117	CATARA CT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
112	मो0 सेराज पिता- गफूर ग्राम- कदगामा वार्ड 08 पो0- जगेली थाना- श्रीनगर जिला- पूर्णियाँ सीआर नं0- 108112500283482	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
113	शोभा देवी पति- रामविनय राय ग्राम+पो0- नयागज थाना- देसरी जिला- वैशाली सीआर न0- 108112403725748	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पचीस हजार स्वीकृत।
114	कबूतरी देवी पति- रामप्रवेश पाडेय ग्राम+पो0+थाना- नया भोजपुर जिला- बक्सर सीआर नं0- 108112403766355	हृदय रोग सीएडी-टी वीडी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
115	इशूदेव कुमार पिता- इन्द्रदेव सिंह ग्राम+पो0- सहदेई बुजुर्ग थाना- सहदेई जिला- वैशाली सीआर न0- 108112301245644	नेफ्रोटिक सिड्रोम	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
116	केशव कुमार पिता- राम चंद्र झा ग्राम- कमला वा र्ड 13 पो0- मझौल थाना- चेरियाबरियारपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112300268616	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

117	मो० इस्राफील पिता- इदरीश ग्राम- तलखापुर पो०- डुमरा थाना- पुनौरा जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112403487863	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
118	रीतू मिश्रा पिता- प्रभुनाथ मिश्रा ग्राम- रूपडिह पांडेय टोला वार्ड 05 पो०- मखुआ थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112403579156	सीबीएस (सर्जरी)	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
119	पिकी देवी पति- संजय कुमार गुप्ता ग्राम- सीतापुर वार्ड 12 पो०- सीतापुर थाना- वीरपुर जिला- सुपौल सीआर न०- 108112300014509	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	विरेंद्र कुमार साहू पिता- सिताराम साहू ग्राम- चिखा वार्ड 05 पो०- चिकना थाना- घोघरडीहा जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112500247761	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	श्रवण कुमार सिन्हा पिता- सत्रोधन लाल ग्राम- सैदपुर डीह पो०+थाना- खिजरसाराय जिला- गया सीआर न०- 108112402100451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	सुधा देवी पति- राम लखन रजक ग्राम- बेलही सिरीपुर वार्ड 10 पो०- चिलौनी उत्तर थाना- प्रतापगज जिला- सुपौल सीआर न०- 108112300522946	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	रामजी राय पिता- जनु राय ग्राम- बाकरपुर वार्ड 12 पो०- बाकरपुर थाना- मोहिउद्दीन नगर जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112300119815	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

124	रजू देवी पति- रविन्द्र ठाकुर ग्राम- पिरापुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112401823251	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
125	रमावती देवी पति- कैलाश साह ग्राम- रौटा श्रीपुर वार्ड 13 पो0+थाना- रौटा जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112500026803	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	विनीता देवी पति- सतोष कुमार ग्राम+पो0- कोठीया थाना- तरियानी जिला- शिवहर सीआर न0- 108112500031858	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	निर्मला देवी पति- मेवालाल राम ग्राम- बलापुर पो0- सदरपुर थाना- बडहरिया जिला- सिवान सीआर न0- 108112400882958	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	निभा कुमारी पति- सतीश कुमार राकेश ग्राम- मलहद वार्ड 02 पो0- मलहद थाना- बदेया जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112500373813	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	राजेद्र यादव पिता- सुरेश यादव ग्राम- साहेबगंज धानुक टोली लेन पो0- चम्पानगर थाना- यूनवर्सिटी जिला- भागलपुर सीआर नं0- 108112403745552	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
130	जासो देवी पति- गुलाब यादव ग्राम- सोलरा वार्ड 07 पो0- सोलरा थाना- परैया जिला- गया सीआर न0- 108112402704828	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

131	कुलेशवर यादव पिता- धनि यादव ग्राम- मटिहारी पो0- सहदेव खाप थाना- मगध युनिवर्सिटी जिला- गया सीआर नं0- 108112500412134	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
132	अमलेश कुमार पिता- गणेश साह ग्राम- राजगाव वार्ड 05 पो0- कोरियापट्टी थाना- जदिया जिला- सुपौल सीआर न0- 108112500010184	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	नीलिम देवी पति- विजय राय ग्राम- दारापुर पो0- गोरीगामा थाना- महनार जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300024784	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
134	लालपति देवी पति- राजेद्र राय ग्राम- सुक्सेना पो0- मुबारकपुर थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर न0- 108112500124643	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
135	मोमवती देवी पति- बाकेलाल यादव ग्राम- यदुआपट्टी वार्ड 05 पो0- यदुआपट्टी थाना- कुमारखड जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112400698919	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
136	दीनानाथ चौधरी पिता- रमन चौधरी ग्राम- धोबौलिया पो0- घेघवा थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112403757097	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
137	राज कुमार यादव पिता- टेटर यादव ग्राम- खुशियाली पो0- गणेशपुर थाना- मरौना जिला- सुपौल सीआर न0- 108112403757011	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

138	कामिनी कुमारी पति- विपिन कुमार शर्मा ग्राम- ठीकापट्टी वज्जर्ड 12 पो0- बिरौली थाना- बेनीपट्टी जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112301243111	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
139	द्रौपदी देवी पति- उमेश प्रसाद चौरसिया ग्राम+पो0- धनकुटवा थाना- बलथन जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112500222700	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
140	सगीता देवी पति- बबलू साह ग्राम+पो0- अमरपुर थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112402493568	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
141	सूरती देवी पति- कृष्णा महतो ग्राम- भौरा बारी पो0- कटिहार थाना- नगर जिला- कटिहार सीआर न0- 108112500145870	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
142	ललकुन यादव पिता- बुधु यादव ग्राम- लक्ष्मीपुर वार्ड 02 पो0- खूटी थाना- छातापुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112500047568	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
143	बूटी कुमारी पिता- सुकेश मडल ग्राम- बिश्वास टोला बॉसी वार्ड 03 पो0+थाना- बॉसी जिला- अररिया सीआर न0- 108112500232080	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
144	शिव देवी पति- राजेद्र चौधरी ग्राम- भदेर वार्ड 13 पो0- लालालपुर भदेर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112403476471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

145	अभिषेक कुमार पिता- रजेन्द्र माझी ग्राम- केशरपुर वार्ड 02 पो0- इसमेला थाना- दिघवारा जिला- सारण सीआर न0- 108112403741476	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
146	हेमती देवी पति- नागेश्वर मिस्त्री ग्राम- पटोई बुजुर्ग वार्ड 13 पो0- सिहुली खैरा थाना- रफीगज जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112500324693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
147	महेश कुमार यादव पिता- श्याम किशोर यादव ग्राम- बग्घा जलवारा वार्ड 12 पो0- कोठिया थाना- कमतोल जिला- दरभंगा सीआर नं0- 108112500063652	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
148	शिव कुमार पिता- बसंत कुमार चौधरी ग्राम- चकसाहो वार्ड 07 पो0- चकसाहो थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112403645922	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
149	द्रोपती देवी पति- सुरेश प्रसाद यादव ग्राम+पो0- ठाठा थाना- मानसी जिला- खगडिया सीआर न0- 108112500190204	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
150	आर्यण कुमार पिता- चन्दन कुमार ग्राम- नांदगोला मालसलामी पो0- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला7 पटना सीआर न0- 108112300671453	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
151	विवेक कुमार पिता- धर्मेन्द्र कुमार ग्राम- सुरमार मेयारी पो0- बाजिदपुर मेयारी थाना- सरायरजन जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112500194838	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

152	बबिता देवी पति- चद्रशेकर सिंह ग्राम- लैलख पो0- ममलख थाना- सबौर जिला- भागलपुर सीआर नं0- 108112403591601	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
153	सीता देवी पति- शिवपूजन बिन्द ग्राम- गोबड्डा वार्ड 05 पो0- गोबड्डा थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुगेर सीआर नं0- 108112300159744	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
154	परविन्द्रा साव पिता- जय किसुन साव ग्राम- करमलीचक पो0- बेगमपुर थाना- बाईपास जिला- पटना सीआर नं0- 108112403051852	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
155	राम प्रकाश सहनी पिता- पानो सहनी ग्राम- स्पताल टोला पो0- मझौल थाना- चरियाबरियारपुर जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112300155234	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
156	रजू देवी पिता- बीरेद्र नाथ पाडेय ग्राम- सतकोदरिया पो0- गंगेली थाना- के नगर जिला- पूर्णियाँ सीआर नं0- 108112400854911	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
157	रजना देवी पति- गिरीश कुमार ग्राम+पो0- केशवे थाना- रिफाईनरी जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112401325955	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
158	दुलारी देवी पति- बैद्यनाथ साहू ग्राम- बधुआ वार्ड 09 पो0- बरुवार थाना- आध्रामठ जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112500056940	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

159	मधुमाला देवी पति- स्व० सुनील कुमार सिंह ग्राम- गजहरवा वार्ड 05 पो०- बेलाही जयराम थाना- सहियारा जिला- सीतामढ़ी सीआर न०- 108112300252027	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
160	देवाशानी देवी पति- गजेंद्र झा ग्राम+पो०- सुखासन थाना- कुमारखड जिला- मधेपुरा सीआर न०- 108112500148259	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
161	शांति देवी पति- रोथिनचन्द्र चेल ग्राम- बसावनपट्टी वार्ड 01 पो०- बसावनपट्टी थाना- करजाईन जिला- सुपौल सीआर न०- 108112400598109	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
162	फिरोज आलम पिता- स्व० मो० कामिल ग्राम+पो०- तेलपुर थाना- लौरिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 10811250005763	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
163	बन्दना देवी पति- निरजन कुमार पडित ग्राम- मधुरापुर पो०- नारायणपुर थाना- भवानीपुर जिला- भागलपुर सीआर न०- 108112401883290	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
164	बीबी फुरकी खातून पति- मो० समद ग्राम- प्रमुख टोला पो०- फरकिया थाना- बौसी जिला- अररिया सीआर न०- 108112500059469	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
165	हेमलता देवी पति- उमेश मंडल ग्राम+पो०- सरुवा थाना- बौसी जिला- बाका सीआर न०- 108112400473136	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

166	अखिलेश कुमार पासवान पिता- किशन पासवान ग्राम- बरैना पो0- महाराजगंज थाना- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112500244886	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
167	साकरी खानम पति- खतिब खान ग्राम- मानुल्लाहपट्टी वार्ड 03 पो0- मानुल्लाहपट्टी थाना- भरगामा जिला- अररिया सीआर नं0- 108112403667381	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
168	अम्बिका ठाकुर पति- स्व० रामजी ठाकुर ग्राम- नया बाजार वार्ड 12 पो0+थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर नं0- 10811203637342	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
169	प्रभावती देवी पति- कन्हैया गिरी ग्राम- छतवा कला वार्ड 06 पो0- मानिकपुरा थाना- बनियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112400285135	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
170	राम कुमारी देवी पति- नथुनी महतो ग्राम- पतौली बलिरामपुर वार्ड 07 पो0- पतौली थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112402879938	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
171	चुनचुन साहू पिता- दुखा साहू ग्राम- सनकन्है पो0- कन्है थाना- घनश्यामपुर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112402604530	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
172	नागेद्र ठाकुर पिता- गणपत ठाकुर ग्राम- राजापुर अखाडा गली वार्ड 22 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- एस के पुरी जिला- पटना सीआर न0- 091305/22	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

173	शमी आलम पिता- अलाउद्दीन असारी ग्राम- काली बाजार वार्ड 23 पो0+थाना- अररिया जिला- अररिया सीआर न0- 108112500396376	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
174	सुमेश्वर राय पिता- धरम राय ग्राम- रघुनाथपुर वार्ड 09 पो0- रघुनाथपुर थाना- कैसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 108112402333081	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
175	मिटू देवी पति- रविद्र झा ग्राम- नन्द गाव पो0+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना सीआर नं0- 108112500138831	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
176	मो0 अनिसुर रहमान पिता- शेख इसा ग्राम- माधोपुर मधुमालत पो0+थाना- तुरकोलिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112500085591	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
177	फुलो खातुन पति- अताबुल साफी ग्राम+पो0- श्रीपुर थाना- किशनपुर जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112500220278	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
178	गायत्री देवी पति- नित्यानन्द प्रसाद ग्राम- ज्योतिपुरम कॉलोनी वार्ड 02 पो0- बी भी कॉलेज थाना- राजीव नगर जिला- पटना सीआर न0- 108112403073473	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
179	फजले आलम पिता- सहबुदीन ग्राम- चद्रदीपा पो0- जोगियारा थाना- जाले जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112301191412	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

180	सुमैया जावेद पिता- जावेद अहमद ग्राम- इजमाली पो0- लकडी दरगाह थाना- बडहरिया जिला- सिवान सीआर न0- 108112300039706	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
181	धनमा देवी पति- स्व0 जगदीश सिंह ग्राम- बाजितपुर पो0- कोण बाजितपुर थाना- मुफ्फसिल जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112402138784	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
182	परवीन खातून पति- मो0 सोहराब ग्राम- दुजरा खाज गली पो0- जी0पी0ओ0 थाना- बुद्धा कॉलेनी जिला- पटना सीआर न0- 108112400918472	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
183	सर्वेश कुमार यादव पिता- अमोल यादव ग्राम+पो0- लश्करी थाना- उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112500312440	स्पाईन सर्जरी	1,40,000	एक लाख चाली हजार स्वीकृत।
184	दीपक कुमार पिता- सेरुश प्रसाद गुप्ता ग्राम- भेलौरी पो0- केशवनगर जिला- चौथम जिला- खगडिया सीआर न0- 108112403640769	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
185	ज्ञान प्रकाश नाग पिता- स्व0 विश्वनाथ प्रसाद नाग ग्राम-रिवर साइड रोड नियर किरण सिनेमा वार्ड 14 पो0- एच पी ओ थाना- कोतवाली जिला- गया सीआर न0- 108112500370288	हृदय रोग सीएडी-ए सवीडी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
186	अनिता कुमारी पति- संजय कुमार ग्राम- मोहम्मद सैदपुर पो0- बिलन्दपुर थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112401813976	Pheochro mo Cytoma	65,000	पैसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

187	भारती देवी पति- यशवत कुमार ग्राम- पांड पो0- चकबहाउद्दीन थाना- दलसिंहसराय जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112200732100	Lupus Nephritis (Critical)	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
188	नदलाल कुमार यादव पिता- लखन यादव ग्राम- धिवहा पो0- परवाहा थाना- फारबिसगंज जिला- अररिया सीआर नं0- 108112402799101	Nephrectomy	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
189	रजनीश कुमार पिता- शैलेन्द्र कुमार ग्राम- बेउर जोडा कुआँ पो0+थाना- बेउर जिला- पटना सीआर नं0- 108112300640604	किडनी रोग LRKTR	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
190	अनिल कुमार पिता- स्व0 परसुराम सिंह ग्राम- बगठिया पो0- झरना सरने थाना- नीमचक बथानी जिला- गया सीआर नं0- 108112500258186	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,29,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,29,00,000/- (एक करोड़ उन्नतीस लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196817 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

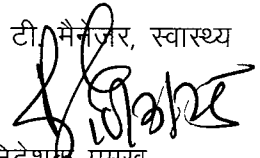
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 682(14)

पटना, दिनांक 10/3/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176872... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,
नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,
अपोजीट पेट्रोल पम्प,
कंकड़बाग, पटना- 80020

पटना, दिनांक . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कमलावती देवी पति- लक्ष्मन राम ग्राम- दिघवा कचहरी टोला वार्ड 13 पो0- दिघवा दुबौली थाना- बैकुण्ठपुर जिला- गोपालगंज रजि न0- 2425/50540	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	लल्लू कुमार मंडल पिता- श्याम सुन्दर मंडल ग्राम- जयरामपुर वार्ड 05 पो0+थाना- मुरलीगंज जिला- मधेपुरा रजि न0- 2425/49186	हृदय रोग एसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			2,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 1968.7.7 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक "महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकड़बाग पटना 20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 683(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176842 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० सलीम पिता- असरफ अली ग्राम- समनपुरा जारा बाजार वार्ड 05 पो०- बी०वी० कॉलेज थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना	हृदय रोग पेरीकार्डीक टॉमी	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
2	सन्नी सिंह पिता- उदय सिंह ग्राम- कौची वार्ड 13 पो०- कोची, थाना- गुरारू जिला- गया	हृदय रोग पेरीकार्डीक टॉमी	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
3	अनीता देवी पति- जगनारायण चौधरी ग्राम+पो०- रामपुर दयाल थाना- पियर जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	राम प्रसाद राम पिता- लक्ष्मी राम ग्राम- सुपौल, पो०- जयदेवपट्टी थाना- धनश्यामपुर जिला- दरभंगा	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	नन्दलाल सिंह पिता- सकलदीप सिंह ग्राम-नदीयावा वार्ड 07 पो०- धनगवा थाना- काको जिला- जहानाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

6	अभिषेक कुमार पिता- मनोज राय ग्राम- जेठुई पो0+थाना- औद्योगिक क्षेत्र जिला- वैशाली	हृदय रोग पीडीए	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			5,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,20,000/- (पाँच लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176847... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम- "निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 684(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176847... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक . . .

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **05.03.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चन्दन शर्मा पिता- मितन शर्मा ग्राम- शर्मा टोला पो0+थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
2	नितीश कुमार पिता- जनसेवक यादव ग्राम- सुखशन, पो0- सोहमा थाना- विथान जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शिवेक कुमार पिता- बिद्या भूषण सिंह ग्राम- कोयरी बिगहा वार्ड 03 पो0+थाना- परवलपुर जिला- नालदा	ड्रामा	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	वीणा चौबे पति- स्व० मदन मोहन चौबे ग्राम- पचवटी जुरन छपरा पो0- एम आई टी, थाना- ब्रह्मपुरा जिला- मुजफ्फरपुर	Severe Asthma with Fungal Sensitization	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			3,05,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,05,000/- (तीन लाख पाँच हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176849 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक

ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 685(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196847 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक... ..

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रुद्र कुमार पिता- गुजन कुमार ग्राम- ठाकुरबारी पो०- मोतिहारी थाना- टाउन जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न०- 3000563207	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	राजनारायण प्रसाद पिता- राजेन्द्र प्रसाद ग्राम- मलाही बाजार वार्ड 08 पो०+थाना- मलाही जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी नं०- 3000543019	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	गायत्री देवी पति- गंगा प्रसाद सिंह ग्राम- सिसौनी पो०- अफजला बालया थाना- बिराल जिला- दरभंगा यूएचआईडी न०- 3000553568	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
4	बबिता देवी पति- जयपाल राय ग्राम- जैतिया बाजीपुर वार्ड 16 पो०- मेहरौली थाना- डोरीगज जिला- सारण यूएचआईडी न०- 3000566076	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	पप्पू साव पिता- रघु साव ग्राम- परेव वार्ड 06 पो0- परेव थाना- बिहटा जिला- पटना यूएचआईडी न0- अंकित नहीं है।	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	बबली कुमारी पिता- किशोरी राम ग्राम- विजय बिगहा बडकी डेलहा पो0- रेलवे स्टेशन थाना- देलाहा जिला- गया यूएचआईडी न0- 3000333294	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मनीष कुमार भारती पिता- मुनन लाल राम ग्राम- लोदीपुर पो0- सदर भागलपुर थाना- लोदीपुर जिला- भागलपुर यूएचआईडी न0- 3000546570	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	बिभा देवी पति- राज कुमार महतो ग्राम- सरसावा घाट पो0- बैजनाथपुर थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न0- 3000566042	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	कुदन कुमार पिता- परमानंद साह ग्राम-पोखरिया पो0+थाना- बेगूसराय जिला- बेगूसराय रजि न0- 3000563461	द्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
10	नागवत सिंह पिता- हरदेव सिंह ग्राम+पो0+थाना- करपी जिला- अरवल रजि नं0- 300069648	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			6,55,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,55,000/- (छः लाख पचपन हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196847 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **16498260000011** खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-**एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0**, शाखा का नाम-AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 686 (14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176849 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अंजली कुमारी पिता- शशिकांत कुमार ग्राम- शिवाजी कॉलोनी पो0- बिहारशरीफ थाना- लहेरी जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	कैलाश भगत पिता- शिवनाथ भगत ग्राम- अकबरपुर हरिहरनाथ मंदिर पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	मुन्नी कुमारी देवी पति- पिंटू कुमार शर्मा ग्राम- चंदनपुरा पो0- तोरनी थाना- शिवसागर जिला- रोहतास	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	रोहित कुमार पिता- बिनोद कुमार शर्मा ग्राम+पो0+थाना- धमदाहा जिला- पूर्णियाँ	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
5	धर्मशीला देवी पति- उमाशंकर ठाकुर ग्राम+पो0- गौरा थाना- बहोरनपुर जिला- भोजपुर	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

6	अशोक कुमार सिंह पिता- राम चंद्र प्रसाद ग्राम- प्रेवेजाबाद पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	शशिकांत सिंह पिता- चंद्रमा सिंह ग्राम- कुरुसा, पो0- डोईया थाना- दिनारा जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
			5,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,30,000/- (पाँच लाख तीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196849 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्राउंड फ्लोर ओजोन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 687(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196849 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्गाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रीति कुमारी पिता— हरदेव राय ग्राम+पो०— भिण्डुआ थाना— के अस्थान जिला— दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	जीवलाल साह पिता— बजीतलाल साह ग्राम— कसाहार पो०+थाना— त्रिवेणीगज जिला— सुपौल	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	फूलो देवी पति— राजाराम यादव ग्राम+पो०— मेटुनिया थाना— बहेरी जिला— दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रोकइया खातून पिता— मो० नदाफ ग्राम— शकरपुर पो०— लालशाहपुर थाना— सिमरी जिला— दरभंगा	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
			₹ 2,95,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,95,000/- (दो लाख पन्चानवें हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 19.68.1.9 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०—38022630797 खाता धारक का नाम—सर्गाफ आर्थो स्पाईन

एडं मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार— बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0003025 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 688(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 176879...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० नईम पिता- स्व० वासी अहमद ग्राम+पो०- बहादुरपुर थाना- जामो बाजार जिला- सिवान	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि **₹, 50,000/-** (पचास हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~176812~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करें।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

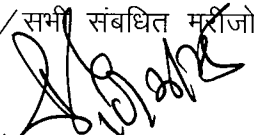
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 689(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं० 176817 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नागेदर प्रसाद पिता- जानकी प्रसाद ग्राम- शाहपुर गेरुअरी पो०- शावनी थाना- बख्तियारपुर जिला- पटना	Coronary Angioplasty with triple stent	85,000	पचासी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अमित कुमार पिता- इंदल राम ग्राम- अधना बेलदारी पो०- अधना थाना- नूरसराय जिला- नालदा	दुर्घटना/ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	राजेश्वर सिंह पिता- मानुक सिंह ग्राम+पो०- अनाईठ थाना- नवादा जिला- भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	भरत प्रसाद पिता- जामुन राम ग्राम+पो०+थाना- सुरसड जिला- सीतामढ़ी	हृदय रोग सीएबीजी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	कलावती देवी पति- सिपाही सिंह ग्राम- शाहपुर पो०- सिरसी थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

6	सर्वेश कुमार पिता- सुरेन्द्र सिंह ग्राम- कलराबीघा पो0+थाना- सालिमपुर जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	तबस्सून खातून पति- फिरोज खान ग्राम- धरहर पो0- कर्मनाशा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग एमवीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	मोनिका कुमारी पिता- महेंद्र प्रसाद विश्वास ग्राम- लेटी पो0- आमगाछी थाना- सिकटी जिला- अररिया	Severe Anaemia (Critical)	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
9	सावित्री देवी पति- अर्जुन राम ग्राम- आबेडकर नगर पो0+थाना- वारिसलीगंज जिला- नवादा	Septic Shock on Ventilatory Support	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			6,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹0 6,60,000/- (छ लाख साठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196847 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **31792937290**, खाता धारक का नाम- **फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-**स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया**, शाखा का नाम-**हनुमान नगर पटना**, RTGS/IFSC कोड सं0 **SBIN0009005** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 690(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176817 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक ...

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नूरजहा बेगम पति— जुल्फिकार खान ग्राम+पो०— नगवा थाना— काको जिला— जहानाबाद	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	कपिल मुनि सिंह पिता— स्व० कपूर चंद सिंह ग्राम— झालखोरा पो०— गोरी थाना— करगहर जिला— रोहतास	हृदय रोग पीटीसीए	1,25,000	एक लाख पचीस हजार स्वीकृत।
			2,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176819 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-50200037828274 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 691(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196844 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,

जीसी 5/जीसी 6,

डा0 आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,

कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरिमा चंद्र पति- मनीष चंद्र ग्राम- सिमली छोटी मंदिर पो0- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	शारदा कुमारी पति- ललितेश कुमार ग्राम- महावीर नगर कर्मा रोड पो0- औरंगाबाद थाना- टाउन जिला- औरंगाबाद	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	अनीता देवी पति- रमेश कुमार चौधरी ग्राम+पो0- कमालपुर बिथरौल थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फपुर	कैंसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-440720110000498 खाता धारक का नाम-Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 692(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 19.684.9...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0- 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजीव कुमार पिता- रमाकांत राय ग्राम- कल्याणपुर डीह पो0+थाना- अथमलगोला जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रामसेवक राय पिता- मुसाफिर राय ग्राम- प्रवेजाबाद पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रेणू कुमारी पति- ब्रज किशोर कुमार ग्राम- दया बिगहा वार्ड 13 पो0- जगपुरा थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	बिजली माझी पति- रम्भू माझी ग्राम- आनन्दपुर पो0- सोनपुर थाना- हरिहरनाथ जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196849 द्वारा आहरित

कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर” खाते का प्रकार—चालू , बैंक का नाम— इंडियन बैंक, शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

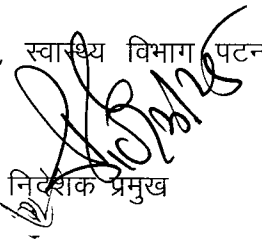
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 693(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...176847 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नथुनी महतो पिता- गरभू महतो ग्राम+पो०- निसिहारा थाना- घनश्यामपुर जिला- दरभंगा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	योगेन्द्र दास पिता- दामोदर दास ग्राम+पो०- नरियार थाना- सहरसा जिला- सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 126842 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम-“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी

है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 694(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176879 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० अकिब पिता- मो० असलम ग्राम- मुकुदपुर पो०- कर्पूरीग्राम थाना- मुफ्फसिल जिला- समस्तीपुर	ड्रामा	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
2	साहिल कुमार पिता- जीतेन्द्र महतो ग्राम- रानीपुर नीम तल पो०- झाउगंज थाना- खाजेकला जिला- पटना	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
3	छोटी कुमारी पति- रौशन कुमार पांडेय ग्राम- काजी बाजार पो०+थाना- हिलसा जिला- नालंदा	Complex cyst of ovum removal	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	प्रवेज अंसारी पिता- मंगला अंसारी ग्राम+पो०- पीरमोकाम थाना- फलका जिला- कटिहार	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			1,45,000	

2

उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 1,45,000/- (एक लाख पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196847 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 33569032861 खाता धारक का नाम—“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल ” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम —गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 695(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं0... 196847 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14 / एम-11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

क्यूरिस अस्पताल,

आर० के० पुरम मोड

नियर सगुना मोड, दानापुर

खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक-05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुदामा कुमार पिता- जय किशुन महतो ग्राम- छोटी पहाड़ी पो०- बड़ी पहाड़ी थाना- अगमकुआ जिला- पटना	हेपेटाइटिस बी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	चदन पासवान पिता- मनरीका पासवान ग्राम- सोनवर्षा पो०- शिवपुर थाना- धनगाई जिला- भोजपुर	हेपेटाइटिस बी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	मनोज कुमार पिता- भगवान प्रसाद यादव ग्राम- हाजिसुभान पो०- पूरबसराय थाना- कोतवाली जिला- मुंगेर	हेपेटाइटिस बी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 17.6849 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का

नाम— M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—एचडीएफसी, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड स० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्राप्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 696(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196849...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेंटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुरज कुमार पिता- लखन सहनी ग्राम- ब्रह्मपुरा लक्समी चौक पो०- एम आई टी थाना- ब्रह्मपुरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/000059	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	बच्चू कुमार पिता- सियाराम राय ग्राम- किरतपुर राजा राम पो०+थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली केस फाईल न०- 11एफ2024/019624	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	पुरुषोत्तम सिंह पिता- फोकिल सिंह ग्राम- श्रीपुर पो०- मनियामोर थाना- नवगछिया जिला- भागलपुर केस फाईल न०- 19एफ2024/004024	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	रजिया देवी पति- शकर सहनी ग्राम- खरार पो०- रघई थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- केडी/81652	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

5	सुभद्रा देवी पति- फेकू सहनी ग्राम+पो0- मनकरवा थाना- फेनहरा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2024/000478	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत
6	सायम पिता- मो0 नौसाद ग्राम- चुनु राय दुकान हबीबपुर पो0+थाना- हबीबपुर जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/000445	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	कैलासिया देवी पति- योगेद्र शर्मा ग्राम- गोइटाहा पो0- रायकररिया थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2024/005900	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	नुतन देवी पति- राकेश कुमार सिंह ग्राम+पो0- नवाबगज थाना- मनिहारी जिला- कटिहार केस फाईल न0- 11एफ2023/008084	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			5,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,10,000/- (पाँच लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196847 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हौस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0

आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0 / -

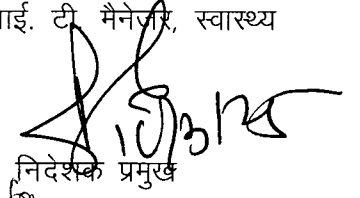
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 697(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 176877 .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एशिया हॉस्पिटल
नीयर धनुकी मोड
अगमकुंआ ब्रिज मेन रोड
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- **05.03.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० मुस्तकीन पिता- ईद महमद ग्राम- फरोजपुर वार्ड 14 पो०- पचरुखी थाना- भेल्दी जिला- सारण	ड्रामा पैर फ्रेक्चर	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	रूबी देवी पति- दशरथ कुमार ग्राम- चकदाहा पो०- परसी थाना- नरपतगज जिला- अररिया	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	अयोध्या पासवान पिता- शिव पासवान ग्राम+पो०- डुमराव थाना- दीपनगर जिला- नालदा	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
4	हीरामणि देवी पति- महादेव महतो ग्राम- कुडवा टोला पो०- नवादा थाना- उदवत नगर जिला- भोजपुर	नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
5	बीबी जमीला खातून पति- मो० तौहिद ग्राम- वार्ड 22 बसबिष्टी पो०+थाना- सुपौल जिला- सुपौल	नी रिप्लेसमेंट	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

6	खुशबू कुमारी पिता— बल्केश्वर मोची ग्राम— मुसौली पो0— गगापुर थाना— हुलासगंज जिला— जहानाबाद	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			3,55,000 /—	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,55,000 /— (तीन लाख पचपन हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0...176849 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0—50200034447830 खाता धारक का नाम Emedinova Marketing Private Limited खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— HDFC BANK शाखा का नाम कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC-0009296 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करें।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 698(14)

पटना, दिनांक 10.03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं0 176849 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	रौशन कुमार पिता— राजेन्द्र साह ग्राम— मोहरी वार्ड 13 पो०— कमरौली थाना— तरियानी जिला— शिवहर	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	अरुण कुमार पिता— स्व० मथुरा सिंह ग्राम+पो०— तारगीर थाना— रजौली जिला— नवादा	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	सतोष कुमार पिता— रामदेव सिंह ग्राम— चदा पो०— दोभी थाना— बाराचट्टी जिला— गया	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	मो० निजामुद्दीन असारी पिता— मो० निजामुद्दीन ग्राम— नानपुर वार्ड 01 पो०+थाना— नानपुर जिला— सीतामढ़ी	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			4,10,000	

2

उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,10,000/- (चार लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000477 मे अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 699(14)

पटना, दिनांक 10.02.2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 176877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	स्मिता कुमारी पिता- शशि भुषण प्रसाद ग्राम- सुमका वार्ड 06 पो०- अमरौरा थाना- थरथरी जिला- नालदा	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176842 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन



एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

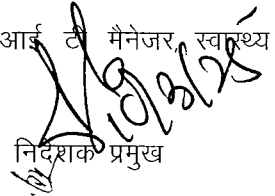
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 700 (14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 196879 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

Medaz Super Speciality Hospital Pvt. Ltd.,

Biscomaun Colony Golamber

(Bajrangpuri) Gai Ghat Road, Near Gandhi Setu,

Patna-800007

पटना, दिनांक.....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	समसा खातून पति- मो० हारून ग्राम- बिशुनपुर खेतल वार्ड 01 पो०- माहपुर थाना- बोचहा जिला- मुजफ्फरपुर	LS Radiculopathy- LCS or Cervical	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196847 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 5467201000112 खाता धारक का नाम-“MEDAZ SUPER SPECIALITY HOSPITAL PVT. LTD.,” खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CANARA BANK, शाखा का नाम- PATNA SANDALPUR, RTGS/IFSC कोड सं०- CNRB0005467 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

७०१(१५)

पटना, दिनांक

१०-०३-२०२५

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 196879 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	मजु देवी पति-राम अनुज राय ग्राम+पो०-हिम्मतपुर थाना-रुस्तमपुर जिला-वैशाली	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	शिव बचन राय पिता-मोहन राय ग्राम-हेतनपुर पो०-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	राज कुमार पासवान पिता-रघुवीर पासवान ग्राम-दुलचदपुर पो०-भडारी थाना-रहुई जिला नालदा	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	तेजा राय पिता-रामचन्द्र राय ग्राम-देवचद पो०-जाफराबाद थाना-राधोपुर जिला-वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	धनदेई देवी पति—रामायण राय ग्राम+पो0—अकिलपुर थाना—अकिलपुर जिला—सारण	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	देवन्ती देवी पति—योगेन्द्र राय ग्राम+पो0—अकिलपुर थाना—अकिलपुर जिला—सारण	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	कान्ति देवी पति—नागेश्वर मेहरा ग्राम+पो0—बियापुर थाना—मनेर जिला—पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	राज नारायण राय पिता—मानिक राय ग्राम—हेतनपुर पो0—माधोपुर थाना—शाहपुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	धनेश्वरी देवी पति—सज्जन बैठा ग्राम—हेतनपुर पो0—माधोपुर थाना—खगौल जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	सुमित्रा देवी पति—झिमिलाल राय ग्राम—बिशनपुर पो0—मनियारपुर थाना—जुडावनपुर जिला—वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	सरयुग राय पिता—प्यारे राय ग्राम+पो0—जाफराबाद थाना—राघोपुर जिला—वैशाली	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	फुल कुमारी देवी पिता—जय किशन राय ग्राम+पो0—जाफराबाद थाना—राघोपुर जिला—वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	उषा देवी पति—देवेन्द्र राय ग्राम—पकौली पो0—दीघवारा थाना—अकिलपुर जिला—सारण	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	योगेन्द्र राय पिता-बाबु लाल राय ग्राम-देवचद पो0-जाफराबाद थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	विशु राय पिता-जय किशन राय ग्राम+पोस्ट-जाफराबाद थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	धरोखा राय पिता-नदा राय ग्राम+पो0-जफराबाद डीह थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	दुलारी देवी पति-सुदर्शन राय ग्राम-पचभेरिया पोस्ट+थाना-गरखा जिला-सारण	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	दिनेश कुमार राय पिता-दीप नारायण राय ग्राम-पानापुर पो0 मानस थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	कौशल्या देवी पति-शंकर राय ग्राम-'बडा हरसमचक पो0-माधोपुर थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	पैरु मिया पिता-रहीम मिया ग्राम-मोकमबीगहा पो0-अतियावा थाना-घोषी जिला-जहानाबाद	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	मीना देवी पति-सुरेश राय ग्राम-नकटा दियारा पोस्ट+थाना-दीघा जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
22	देवी दयाल साव पिता-लाल दास ग्राम-शाहपुर पो0-पिजौर थाना-परसबिगहा जिला-जहानाबाद	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

23	नन्दु मिस्त्री पिता-सरयुग मिस्त्री ग्राम-मोहनपुर पो0-अमैन थाना-परसबीगहा जिला-जहानाबाद	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
24	रजली देवी पति-नन्हक यादव ग्राम+पो0-अमीन थाना-परसबीगहा जिला-जहानाबाद	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
25	भागवत राम पिता-दिला प्रसाद ग्राम+पो0-पिंजौर थाना-परसबीगहा जिला जहानाबाद	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
26	सुखिया देवी पति-अकलु राम ग्राम-शाहपुर पो0-पिंजौर थाना-परसबीगहा जिला-जहानाबाद	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
27	विदा प्रसाद पिता-सोभी सिंह ग्राम ककहरा पो0-सोहसराय थाना नुरसराय जिला नालदा	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
28	बुदेला पासवान पिता-लखन पासवान ग्राम-ककहरा पो0-सोहसराय थाना-नुरसराय जिला नालदा	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
29	जानकी देवी पति-देव राय ग्राम+पो0-रुसतमपुर थाना-रुसतमपुर ओ0पी0 जिला-वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
30	रीता देवी पति-मुनेश्वर महतो ग्राम-ककहरा मान्दछ पो0-सोहसराय थाना-नुरसराय जिला-नालदा	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
31	चन्देश्वरी देवी पति-शिवपति पासवान ग्राम-फतेहपुर पो0-अंधेरी थाना-सहार जिला-भोजपुर	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

32	राज कुमार ठाकुर पिता-राजेन्द्र ठाकुर ग्राम+पो0-खडाव कला थाना-सहार जिला-भोजपुर	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	राजु कुमार देवी पति-केशवर सिंह ग्राम+पो0'-खराव थाना-सहार जिला भोजपुर	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	रामवृक्ष पासवान पिता-भवनन्दन पासवान ग्राम-दुधिया पो0-अकिलपुर थाना-अकिलपुर जिला-सारण	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			3,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,40,000/- (तीन लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~176849~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं0 UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

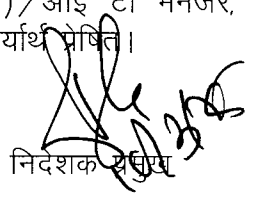
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 702(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 176417 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
शेखर आई केयर एंड लेजर सेंटर
राजीव नगर रोड न०-0,
नाला पर आशियाना
पाटलीपुत्रा मार्ग केसरी नगर
पटना-800024

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	महेश चौधरी पिता—स्व० अमृत चौधरी ग्राम—लालजी टोला पो०—जी० पी०ओ० थाना— गांधी मैदान जिला—पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	राम सेवक राय पिता—टीपन सिंह ग्राम—हेतनपुर मो०—माधोपुर थाना—शाहपुर जिला—पटना	RE CATARAC	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	जनक राय पिता—राम आसन राय ग्राम—हेतनपुर पो०—माधोपुर थाना—शाहपुर जिला—पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	सदा राय पिता—राम जतन राय ग्राम—माधोपुर पो०—शाहपुर थाना—शाहपुर जिला—पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	सुरेन्द्र कुमार पिता-सकल देव राम ग्राम-जमलपुरा पो0-कोरावा थाना-नौबतपुर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	सुखलु वर्मा पिता-किशुन प्रसाद ग्राम+पो0-कोरावा थाना नौबतपुर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	धनजय कुमार पिता-रविन्द्र कात ग्राम+पो0-चेसी थाना-नौबतपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	राजेन्द्र महतो पिता-राम लगन महतो ग्राम+पो0-सादिकपुर थाना-मनेर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	नेपाल सिंह पिता-जनेश्वर शर्मा ग्राम-अंकोपुर पो0-बलेखारा थाना-रामपुर चौरम जिला-अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	दहौड़ी देवी पति-राम वृक्ष चौधरी ग्राम-काजी मोहल्ला पो0+थाना-मनेर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	सैयद मोहम्मद इकबाल अनवर पिता-सैयद मोहम्मद हेमायुन ग्राम-अमिन कोलनी पो0-झाउगज थाना-खाजेकला जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 176819 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं- 291311100000760 खाता धारक का नाम- SHEKHAR EYE CARE AND LASER CENTRE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम- BAILEY ROAD, RTGS/IFSC कोड सं- UBIN0829137 में अंतरित किया जाता है।

गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करे।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 7 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 703(14)

पटना, दिनांक 10-03-2023—

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176889 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	केदार शर्मा पिता- स्व० राम सूचित शर्मा ग्राम+पो०+थाना- करगहर जिला- रोहतास	नेत्र रोग Corneal	5,000	पाँच हजार स्वीकृत।
2	बुधिया देवी पति- परमा राय ग्राम- निलकठ टोला गौरैया सीन पो०- सादिकपुर थाना- मनेर जिला- पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	इंद्रदेव पाठक पिता- श्याम पाठक ग्राम- नागा टोला गौरैया स्थान पो०- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	चंद्रदेव राय पिता- अमीर राय ग्राम- धज्जवा टोला पो०+थाना- मनेर जिला- पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	मजु देवी पिता- अम्बिका राय ग्राम+पो०- शेरपुर थाना- मनेर जिला- पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	गुरुदत्त प्रसाद पिता- देवदत्त साव ग्राम- सोरमपुर कोरियावन पो0- सोरमपुर थाना- जानीपुर जिला- पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	श्याम देवी राय पिता- बेनी लाल ग्राम- काली मंदिर पेठिया बाजार पो0+थाना- दानापुर जिला- पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	अर्जुन प्रसाद पिता- मिथिला प्रसाद ग्राम- हरला पो0- मानकीपर थाना- कादिरगज जिला- पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	भगवान राय पिता- दुलार राय ग्राम- हाथी टोला पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	RE PTERYGIUM	5,000	पाँच हजार स्वीकृत।
10	हेमा कुमारी पति- सुनील कुमार ग्राम- हरला पो0- मनकीपर थाना- कादिरगज जिला- पटना	RE PTERYGIUM	5,000	पाँच हजार स्वीकृत।
			85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196849 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की

संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 704(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176817 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
ए०एस० जी० आई अस्पताल
ओल्ड आर के० एभन्यु
राजेन्द्र नगर, नियर दिनकर गोलम्बर
पटना 800004

पटना, दिनांक ...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनार देवी पति- रामलखन यादव ग्राम- थमहावन पो०- सैस्तापुर थाना- अथमलगोला जिला- पटना	Eye Cataract	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
			₹ 20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 196879 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 016705012140 खाता धारक का नाम- "ए०एस०जी० हौस्पिटल प्रा० लि० " खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-आई०सी०आई०सी० आई०, शाखा का नाम-, पटना RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0000167 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 705(14)

पटना, दिनांक 10.03.2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 196877की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	तेतरी देवी पति—जय पासवान ग्राम—पटिलही पो०—सेदुआरी थाना—हाजीपुर सदर जिला वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	चानो देवी पति—विमल पासवान ग्राम—करीमाबाद पटिलही पो०—सेदुआरी थाना—हाजीपुर सदर जिला—वैशाली	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सिवान पासवान पिता—जामुन पासवान ग्राम—पटिलही पो०—सेदुआरी थाना—हाजीपुर सदर जिला वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	विमल पासवान पिता—देव चंद्र पासवान ग्राम—पटिलही पो०—सेदुआरी थाना—हाजीपुर सदर जिला—वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	जब्बार पासवान पिता—लगन पासवान ग्राम—करीमाबाद पो० सेदुआरी थाना—हाजीपुर सदर जिला वैशाली	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	रिजवाना पिता-मो गफ्फार ग्राम-पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	गोरख प्रसाद पिता-रामजी प्रसाद ग्राम तेतरीचक पो0-नदवान थाना-धनरूआ जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	आसमा खातुन पति-शकील अहमद ग्राम-गौराहा पो0-पिजरावन थाना-कुर्था जिला अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	जुमी असारी पिता हसरु असारी ग्राम-धमोल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	मो0 सजीम अंसारी पिता-मो0 इमामम अंसारी ग्राम-गौराजा पो0-पिजवरा थाना-कुर्था जिला अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	अकबर अंसारी पिता-नबीर असारी ग्राम-इब्राहीमपुर धमौल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	सायरा खातुन पति-जैनब असारी ग्राम-धमोल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	जमीला खातुन पति-मोहम्मद असारी ग्राम-पिजवरा गौराहा पो0-पिजवरा थाना-कुर्था जिला अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	ममीन्तरी देवी पति-राजेन्द्र दास ग्राम-इब्राहीमपुर धमौल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	कामेश्वर पासवान पिता-हरख नारायण पासवान ग्राम-सलेरपुर पो0-मुरारी थाना करपी जिला-अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	विजय यादव पिता-मोती यादव ग्राम-धमोल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	अनीसा खातुन पति-जलाउद्दीन ग्राम-धमोल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	मदीना खातुन पति-मो इदरीश अंसारी ग्राम-सेलारपुर पो0-मुरारी थाना करपी जिला-अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	बालेश्वर सिंह पिता-राम नारायण सिंह ग्राम-धमोल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	मो0 सत्तार अंसारी पिता-मो0 अली ग्राम-गौहारा पो0-पिजवारा, थाना-कुर्था जिला-अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	मीना देवी पति-कृष्ण शर्मा ग्राम+पो0-बिदौल थाना-बिहटा जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	काति देवी पति-उमेश सिंह ग्राम-इब्राहीमपुर पो0+थाना-कुर्था जिला अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

23	गोवर्धन पासवान पिता-एतवार पासवान ग्राम-मनीरामपुर पो0-मुरारी थाना-करपी जिला-अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
24	शिव कुमारी देवी पति-गिरधारी दास ग्राम-धमोल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
25	रामाशीष यादव पिता-जगदीश यादव ग्राम-धमोल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत
26	यदु साव पिता-राम चरित्र साव ग्राम--धमोल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत
27	गोविन्द सिंह पिता-राम दयाल सिंह ग्राम-धमोल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत
28	लालदेव सिंह पिता-नन्हक सिंह ग्राम-सेलापुर पो0-करपी थाना-करपी जिला-अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत
29	विलाश भगत पिता-शिवनंदन भगत ग्राम-सेलापुर पो0-मुरारी थाना-करपी जिला-अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत
30	मोहम्मद अब्दुल्लाह पिता-जिबराती मियां ग्राम-धमौल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत

31	नागेश्वरी देवी पति—शिवसरन साव ग्राम—धमौल पो0—इब्राहीमपुर थाना—कुर्था जिला अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत
32	शिव प्रसाद साव पिता—भीखा साव ग्राम—धमौल पो0—इब्राहीमपुर थाना—कुर्था जिला अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत
33	कलौटी देवी पति—राम प्रवेश यादव ग्राम—महादेव बिगहा पोस्ट—इब्राहीमपुर थाना—कुर्था जिला अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत
34	सुरेश चौधरी पिता—सरन चौधरी ग्राम—शाहगज पो0—पिजरावा थाना—कुर्था जिला—अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत
			3,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,40,000/- (तीन लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176.8 + 9. . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200021671321 खाता धारक का नाम— **BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **HDFC BANK**, शाखा का नाम— **Patliputra Branch, Kurji (Patna)**, RTGS/IFSC कोड सं0 **HDFC0002643** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।

- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

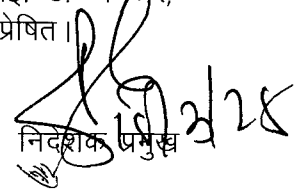
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 706(14)

पटना, दिनांक 10-03-2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 1.2.6879 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
नागेन्द्र कुमार
पिता- स्वयम्बर साव
ग्राम+पो०+थाना- मखदुमपुर
जिला- जहानाबाद
पिनकोड- 804422

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नागेन्द्र कुमार पिता- स्वयम्बर साव ग्राम+पो०+थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद पिनकोड- 804422	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 447710100018245 खाता धारक का नाम- NAGENDRA KUMAR, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम- ARWAL, IFSC कोड स०- BKID0004477 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

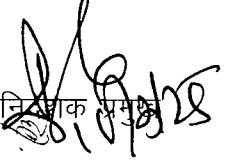
1

ज्ञापाक 728(14)

पटना, दिनाक 10/8/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196877 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निर्वाहक प्रमुख



Registered (Yes/No)

(Yes/No)

If Yes, Register

(Optional)

(Optional)

Name

Name



पासबुक
Pass Book
बैंक ऑफ इंडिया
BANK OF INDIA

उपयोगी सुझाव -

- 1 अपने खाते के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पंजीकृत करें।
- 2 प्रस्तावित ऑफर के लिए आप अपने बैंक नंबर या खाते को सक्रिय करें।
- 3 नियमित रूप से अपने पासबुक को अपडेट करें।
- 4 जहाँ भी संभव हो संभवतः जहाँ भी संभव हो संभवतः
- 5 पासबुक को सुरक्षित रखें।
- 6 हम आपको अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे।
- 7 कोई समस्या हो तो आपको हमसे संपर्क करने में मदद करेंगे।
- 8 हमें आपकी समस्याओं को जल्दी से सुलझाने में मदद करेंगे।
- 9 इस पासबुक को सुरक्षित रखें।
- 10 कृपया अपने पासबुक को सुरक्षित रखें।

Useful Tips :

- 1 Register your Mobile and email-Id for getting information about your account
- 2 You may call toll free number for inquiry etc
- 3 Get pass-book updated regularly
- 4 Issue standing instructions wherever possible
- 5 Do not put signature anywhere in pass book
- 6 We welcome your suggestions
- 7 Contact branch manager in case of difficulties/Value added services
- 8 Toll Free Helpline No
- 9 Do not fall prey to false promises, beware of dubious schemes
- 10 Please do not disclose your Account details/Internet Banking User ID and Password/ATM Debit Card/Credit Card/Mobile Banking Personal information to any Person

MR. NAME: MR. NAME
MR. ADDRESS: MR. ADDRESS
MR. CITY: MR. CITY
MR. EMAIL: MR. EMAIL
MR. CODE: MR. CODE
MR. CODE: MR. CODE
Customer ID: MR. CODE
Account No: MR. CODE
Name: MR. NAME

MR. NAME

MR. NAME: MR. NAME
MR. ADDRESS: MR. ADDRESS
MR. CITY: MR. CITY
MR. EMAIL: MR. EMAIL
MR. CODE: MR. CODE
MR. CODE: MR. CODE
Customer ID: MR. CODE
Account No: MR. CODE
Name: MR. NAME

For your queries / enquiry
Toll free no. of our call center 1800270270, 18001031906

This pass book is system generated and does not require any initial

Grievance Redress Officer, MR. NAME
Grievance Redress Officer, MR. NAME

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
मैसर खा
पिता- असद खा
ग्राम+पो०- पटनिया
थाना- बिरौल
जिला- दरभंगा
पिनकोड- 847203

पटना, दिनांक...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.03.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मैसर खा पिता- असद खा ग्राम+पो०- पटनिया थाना- बिरौल जिला- दरभंगा पिनकोड- 847203	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196847 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 32727036354 खाता धारक का नाम- MAISAR KHAN, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- HANTI, IFSC कोड सं०- SBIN0008127 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

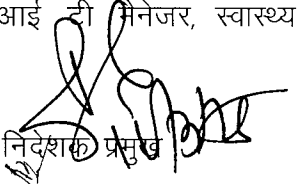
विश्वासभाजन
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 729(14)

पटना, दिनांक 10/3/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196849 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

660

Generally used abbreviations

Adv = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
Adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dch = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
chg/cd = Charge	fnop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/c = Son/Daughter/Wife/Husband
coll = Collection	lon/in = Loan	tr/tr/tytr = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wd = Withdrawal
csb = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal=total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक

140

Savings Bank Account
 IF No. 86555414507
 Account No. 3777036354
 Customer Name: Mr. MAISAR KHAN
 S/D/W/H/c: S/O ASAD KHAN
 Address: S/O ASAD KHAN
 At PU. PAWARIA
 PHONE
 FIRST

State Bank of India

HANI
 PHUBARI BHAWAN



Phone: 252509
 Email: sbi.0817@sbi.co.in
 Branch Code: 8171
 Date of Issue: 19/01/2015
 IFSC: SBIN0008127

AC- 32727036354
 IFSC - SBIN0008127